विश्राम कक्ष
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुजफ्फरनगर।
दिनांकः—27.01.2026

विविध आदेश

कार्य विभाजन के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश से पूर्व विचार विमर्श के उपरान्त न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या—2, मुजफ्फरनगर में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को दृष्टिगत करते हुए तथा फौजदारी कार्य को सुचारू रूप से चलाये जाने हेतु निम्न आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी किया जाता हैः—

1— न्यायालय अपर सिविल जज सी0डि0, कोर्ट संख्या—1/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर में लम्बित थाना चरथावल से सम्बन्धित लम्बित समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद वाद व प्रकीर्ण वाद का दायरा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या—2, मुजफ्फरनगर को अन्तरित किया जाता है।

2— न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या—2, मुजफ्फरनगर में लम्बित थाना सिखेडा से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद वाद व प्रकीर्ण वाद का दायरा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या—2, मुजफ्फरनगर को अन्तरित किया जाता है।

3— न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या—1, मुजफ्फरनगर में लम्बित धारा 138 एन0आई0एक्ट से सम्बन्धित समस्त वाद न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या—2, मुजफ्फरनगर को अन्तरित किये जाते है।

(श्रीमति कविता अग्रवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर।

प्रतिलिपि—

1—माननीय जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ।
2—सम्बन्धित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
3—अध्यक्ष/सचिव जिला बांर संघ, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ।
4—अध्यक्ष/सचिव बार संघ, जानसठ को सूचनार्थ।
4—संयुक्त निदेशक अभियोजन, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ।
5—कम्प्यूटर सेक्शन को सूचनार्थ।

27/01/2026
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुजफफरनगर।